

पूर्व मध्य रेल
(कार्मिक विभाग)

कार्यालय आदेश संख्या-346/2023

रेलवे बोर्ड के आर.बी ई संख्या-161/2009 दिनांक-03.09.2009 में दिए गए निर्देशानुसार कार्मिक विभाग के लिपिकीय संवर्ग के निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षक, लेवल-6 से मुख्य कार्यालय अधीक्षक, लेवल-7 में पदोन्नति हेतु सुयोग्य पाए गए हैं। इनके विरुद्ध डीएआर/एसपीई/विजिलेंस से मुक्त होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से तत्काल प्रभाव से मुख्य कार्यालय अधीक्षक, लेवल-7 में पदोन्नत कर उनके वर्तमान पदस्थापना स्थल पर पदस्थापित किया जाता है। जो निम्न है:-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम एवं वर्तमान कार्यस्थल	पदोन्नत पदनाम /पदोन्नति पर पदस्थापना स्थल
1.	श्री शेख जमील अहमद	कार्याधि/पास अनुभाग/कार्मिक विभाग/पूमरे/हाजीपुर	मुख्य कार्यालय अधीक्षक/पास अनुभाग/कार्मिक विभाग/पूमरे/हाजीपुर
2.	श्री अजय कुमार	कार्याधि/विद्युत संवर्ग/कार्मिक विभाग/पूमरे/हाजीपुर	मुख्य कार्यालय अधीक्षक/विद्युत संवर्ग/कार्मिक विभाग/पूमरे/हाजीपुर
3.	श्री पारस नाथ पंडित	कार्याधि/आरआरबी/पटना	मुख्य कार्यालय अधीक्षक/आरआरबी/पटना

उपरोक्त कर्मचारियों को जिनका MACP के तहत लेवल-07 पर वेतन निर्धारण किया जा चुका है उन्हें मुख्य कार्यालय अधीक्षक, लेवल-07 पर पदोन्नति के उपरान्त वेतन निर्धारण अपेक्षित नहीं है। क्रमांक-03 के कर्मचारी का वेतन निर्धारण संबंधित यूनिट के द्वारा किया जाना अपेक्षित है। क्रमांक-02 पर उल्लेखित कर्मचारी को MACP के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जा चुका है अतः पदोन्नति पर वेतन निर्धारण नहीं किया जाना है। क्रमांक 01 के कर्मचारी को पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि से वेतन निर्धारण किया जाएगा।

यदि उपरोक्त कर्मचारी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण निचले लेवल की अगली वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि से कराना चाहते हों तो वे अपना विकल्प एक माह के अंदर उचित माध्यम से दे सकते हैं। कर्मचारी का पदोन्नति पर वेतन निर्धारण कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी। कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट समय से कार्मिक संवर्ग एवं संबंधित बिल अनुभाग को प्रेषित किया जाए।

(एम. के. चौधरी)
सकाधि(ईएसएम)
कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)

दिनांक-29.12.2023

संख्या:-ECR HQOPERS(STFM)/8/2021(C No. 125147)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुकाधि महोदय के सचिव: प्रमुकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. प्रविस/पूमरे/हाजीपुर।
3. मुकाधि /प्रशासन के निजी सचिव-॥ मुकाधि /प्रशासन महोदय के सादर सूचनार्थ।
4. उप. मुकाधि/आई. आर एण्ड डब्लू/पूमरे/हाजीपुर।
5. सकाधि /बिल/पूमरे/हाजीपुर।
6. सकाधि/एमपीपी/पूमरे/हाजीपुर को नेट पर अपलोड करवाने हेतु।
7. संबंधित कर्मचारी

कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)/हाजीपुर